	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... जो इस हु... में ...
22-7-24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की माजिद बहस सुनी गई प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	Sd/-	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या ::– 117/2019

रूपाबाई पति किशन लाल गुर्जर निवासी पारसोली तहसील बेगूँ
वादीया

बनाम

1. कालूलाल पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2. प्रेमीबाई पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3. बालूलाल पिता नन्दलाल मृतक के बजाय :–
   3/1– श्रीमति सुगना पत्नी बालूलाल गुर्जर नि0 पारसोली
   3/2– धर्मराज पिता बालुलाल गुर्जर निवासी पारसोली नाबालिग संरक्षक माता सुगना पत्नी बालुलाल गुर्जर
4. प्यारीबाई पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
5. मगनी पति नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री वी.पी. शर्मा
अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांकः–22.07.2024

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया की ओर से वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा पारसोली प0ह0 पारसोली की निम्न कृषि आराजीयात वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की संयुक्त सहखातेदारी की है जिसमें वादीया का 1/15 हक हिस्सा निहित है, आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
38	767	0.20
	867	0.90
	868	0.65
	876	0.82
	877	0.56
	किता–5	3.13 हैक्टर

वर्णित आराजीयात में वादीया का हिस्सा 1/15 निहित है एवं प्रतिवादी सं 1 से 2 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 3/5 हक हिस्सा निहित होकर सभी अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्णित आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने से आराजी में से फसल काटते वक्त एवं सीमा एवं लगान को लेकर आपस में विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.07.2019 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया जिससे वादीया को यह वाद पत्र लाने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादीया एवं प्रतिवादीगण के निहित हक हिस्से व मौके पर काविजनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार भूमि का बंटवारा विभाजन किये जाने हेतु खाता पृथक किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 25.07.2019 को होकर हर रोज वर्तमान है। विभाजन के प्रकरण में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादीया न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करती हैः–

क– कि मौजा पारसोली पटवार मण्डल पारसोली के खाता संख्या 38 में अंकित आराजी संख्या 767, 867, 868, 876, 877 किता– 5 रकबा 3.13 हैक्टर भू मि में निहिहत वादीया का 1/15 हक हिस्सा एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक का हिस्सा 3/5 अनुसार एवं काविजनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार भूमि का बंटवारा विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावें।

ख–कि वाद विभाजन वादीया का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

ग–वाद व्यय वकील मेहनताना आदि वादीया को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

घ– कि अन्यकोई अनुतोष जो सुलभ हो वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2, 4 व 5 के बावजूद सूचना के

उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 का देहान्त होने व उनके वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री संजय शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया किन्तु पत्रावली में उनके द्वारा हिदायत पैरवी नहीं किये जाने का अंकन पत्रावली में कर दिया गया जिससे प्रकरण एक तरफा होकर वादीया की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादीया रूपाबाई ने प्रस्तुत करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस को प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 अंकित कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये। प्रकरण में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में साक्ष्य वादीया की पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए वर्णित आराजीयात का विभाजन कर खाता पृथक दर्ज कराने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी का अवलोकन किये जाने पर पाया कि वर्णित भूमि में वादीया का हिस्सा 1/15 अंकित है जिसे वह पृथक कराने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत रखती है। वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा पारसोली पटवार मण्डल पारसोली के खाता संख्या 38 में अंकित आराजी संख्या 767, 867, 868, 876, 877 किता– 5 रकबा 3.13 हैक्टर भू मि में निहिहत वादीया का 1/15 हक हिस्सा एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक का हिस्सा 3/5 अनुसार एवं काविजनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार भूमि का बंटवारा विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु भेजी जाती है।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./2024/591 दिनांक 26.02.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री की घोषणा किया जाने योग्य है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा पारसोली प0ह0 पारसोली की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादीया रूपाबाई पत्नी किशनलाल गुर्जर सा.देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
767	0.20		
किता– 1	0.20		

प्रतिवादी 1.कालू पुत्र नन्दलाल हिस्सा 13/56 सा. देह खातेदार रहन केनरा बैंक शाखा पारसोली
2.प्यारीबाई पुत्री नन्दलाल हिस्सा 15/56 सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली
3.प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल हिस्सा 15/56 सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली
4.विशाल पुत्र बालू गुर्जर हिस्सा 15/112 सा. देह खातेदार
5.सुगना बाई पति बालू गुर्जर हिस्सा 15/112 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
867	0.90		
868	0.65		
876	0.82		
877	0.56		
किता– 04	2.93		

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ (राज0)

दावा पत्र संख्या :– 117/2019

रूपाबाई पति किशन लाल गुर्जर निवासी पारसोली तहसील बेगूँ

दादीया

बनाम

1. कालूलाल पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2. प्रेमीबाई पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3. बालूलाल पिता नन्दलाल मृतक के बजाय :–
   3/1– श्रीमति सुगना पत्नी बालूलाल गुर्जर नि0 पारसोली
   3/2– धर्मराज पिता बालुलाल गुर्जर निवासी पारसोली नाबालिग संरक्षक माता सुगना पत्नी बालुलाल गुर्जर
4. प्यारीबाई पिता नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
5. मगनी पति नन्दलाल गुर्जर निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौड़गढ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वी.पी. की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता संजय शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा पारसोली प0ह0 पारसोली की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा पारसोली प0ह0 पारसोली की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादीया रूपाबाई पत्नी किशनलाल गुर्जर सा.देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
767	0.20		
किता– 1	0.20		

प्रतिवादी 1.कालू पुत्र नन्दलाल हिस्सा 13/56 सा. देह खातेदार रहन केनरा बैंक शाखा पारसोली 2. प्यारीबाई पुत्री नन्दलाल हिस्सा 15/56 सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली
3.प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल हिस्सा 15/56 सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली
4.विशाल पुत्र बालू गुर्जर हिस्सा 15/112 सा. देह खातेदार
5.सुगना बाई पति बालू गुर्जर हिस्सा 15/112 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
867	0.90		
868	0.65		
876	0.82		
877	0.56		
किता– 04	2.93		

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिस्ता/2024/377 दिनांक:– 26.7.24

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूँ को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ